"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 375] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई 2026 — आषाढ़ 19, शक 1948

गृह (सी–अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 जुलाई 2026

अधिसूचना

File No. GENCOR-35/2081/2025-HOME SECTION.— **अतिरिक्त सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, द्वारा अधिसूचना क्रमांक 767/डी. 50/21-अ/प्रारू./ छ.ग. / 26, दिनांक 10 अप्रैल 2026 के माध्यम से ''छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय अधिनियम 2026'' जारी कर असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।**

राज्य शासन एतद् द्वारा ''छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय अधिनियम 2026'' के अध्याय एक के धारा 1. (3) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार यह अधिनियम इस अधिसूचना के जारी दिनांक से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त मानी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. चौहान, उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.